न्यायालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार

अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना-800015
दूरभाष सं0-0612-2215041, email - Courtscdbihar@gmail.com, Website : scdisabilities.org

पत्रांक-...343/आ0/नि0... दिनांक-...25...मार्च'2021

नोटिस पत्र

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-82 के अन्तर्गत

वाद सं0-70/2021

दिनांक- हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित मूकबधिर युवती से दुष्कर्म की घटना पर स्वत: संज्ञान।

बनाम

1. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, जिला- मुजफ्फरपुर।
2. वरीय पुलिस अधीक्षक, जिला- मुजफ्फरपुर।
3. अनुमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी अनुमंडल।
4. सबडिवीजनल पुलिस पदाधिकारी (एस0 डी0 पी0 ओ0), मुजफ्फरपुर पूर्वी।
5. सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, मुजफ्फरपुर।
6. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, मुजफ्फरपुर।
7. प्रखंड विकास पदाधिकारी, गायघाट, जिला- मुजफ्फरपुर।
8. थाना प्रभारी, थाना- गायघाट, जिला- मुजफ्फरपुर।

प्रकरण:- **हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित गायघाट थाना क्षेत्र, जिला-मुजफ्फपुर, की मूकबधिर युवती से दुष्कर्म की घटना के संबंध में।**

हिन्दी दैनिकी में 'मूकबधिर युवती से दुष्कर्म' नामक शीर्षक के अंतर्गत दिव्यांग पर हुए संगीन अपराध की घटना प्रकाशित है। (दैनिक समाचार-पत्र का संदर्भित भाग संलग्न)। समाचार-पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि गायघाट थाना क्षेत्र, जिला-मुजफ्फपुर, की मूकबधिर युवती से उनके घर में घुसकर दुराचार किया गया है। उक्त घटना की जॉच एवं संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर न्यायसम्मत कार्रवाई करना अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम की धारा-80 एवं 82 के अंतर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना को दिव्यांगजन के अधिकारों व उपलब्ध सुरक्षापायों से संबंधित मामले में समुचित पदाधिकारियों को निदेश करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इनके निष्पादन के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियॉ प्रदान की गई है। प्रतिवादीगण वाद की सुनवाई की अगली तिथि को जॉच प्रतिवेदन के साथ न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। अपने प्रतिवेदन में इस बात का भी उल्लेख करेंगे कि पीडिता को बिहार राज्य प्रतिकर योजना के अंतर्गत प्रतिकर प्रदान किया गया है या नहीं। साथ ही, पीड़िता को अपेक्षित सुरक्षा प्रदान की जाय।

वाद की सुनवाई की तिथि-..16.04...2021, समय-12:00 बजे पूर्वा0 निर्धारित की जाती

अनुलग्नक-यथोक्त।

(हस्ताक्षर) 25.03.2021
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

(मुहर: राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, न्यायालय, सं0..., बिहार, पटना)

Scanned with CamScanner